संख्या-39/2015/1398/35-3-2015-1(39)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
सिध्दार्थ नगर।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2015**

विषय: शासनादेश संख्या-27/1015/1229/35-3-2015-1(39)/2015 दिनांक: 21 सितम्बर, 2015 मे संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 27/1015/1229/35-3-2015-1(39)/2015 दिनांक: 21सितम्बर, 2015 मे आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के पृष्ठाकंन को निम्नवत पढ़ा जायेगा।

संख्या-27/1015/1229(1)/35-3-2015-1(39)/2015 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ गन्ना विकास/ पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, सिध्दार्थ नगर ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/ गन्ना विकास विभाग-3 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बस्ती मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिध्दार्थ नगर ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सन्दर्भित शासनादेश संख्या-27/1015/1229/35-3-2015-1(39)/2015 दिनांक: 21सितम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-39/2015/1398(1/35-3-2015-1(39)/2015 तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ गन्ना विकास/ पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन ।।
5- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, सिध्दार्थ नगर ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/ गन्ना विकास विभाग-3।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बस्ती मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिध्दार्थ नगर ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।